नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2016

क्रमांक एफ 20-77/2012/11/(6).—यत: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-92/2006/11/(6) दिनांक 02 जनवरी 2007 के अनुसार उद्यमियों द्वारा स्वविवेकानुसार ई.एम. पार्ट-I तथा ई.एम. पार्ट-II दाखिल करने संबंधी व्यवस्था भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2576(ई) दिनांक 18 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिवर्तित की गई है,

ओर यत: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-4/2016/11/(6) दिनांक 06 फरवरी, 2016 से उद्यमियों को स्वविवेकानुसार स्वप्रमाणन के आधार पर "उद्यम आकांक्षा" (Udyam Aakanksha) दाखिल करने की व्यवस्था लागू की गई है,

ओर यत: ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012, में वर्तमान में पात्रता के लिये ई.एम. पार्ट-I एवं ई.एम. पार्ट-II अनिवार्य अभिलेख है,

अतएव, राज्य शासन, ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 के क्रियान्वयन हेतु ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 में जहां-जहां भी ई-एम पार्ट-1 शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसे ई-एम पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा (Udyam Aakanksha) से प्रतिस्थापित करता है.

यह अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2015 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 20-86/2015/ग्यारह/(छै).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की राज्य में स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये "छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन" प्रारंभ करता है.

2. "छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन" द्वारा निम्नांकित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा :—

i खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण.
ii उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी, दोनों क्षेत्रों में कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण अधोसंरचना का विकास.
iii ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना.
iv रीफर वाहन योजना.

3. उपरोक्त सभी योजनाओं पर छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में निर्धारित शर्तें यथावत् मान्य होंगी तथा योजनाओं में दी जाने वाली अनुदान की मात्रा पूर्व में भारत सरकार से संचालित राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के समानुरूप होंगी.

4. "छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन" के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश इस अधिसूचना के साथ संलग्न कर जारी किये जा रहे हैं.

5. इस मिशन की उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा "राज्य स्तरीय सशक्त समिति" द्वारा तथा योजनांतर्गत प्राप्त प्रकरणों का अनुमोदन "क्रियान्वयन समिति" द्वारा किया जायेगा, जिनका उल्लेख इस मिशन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों में किया गया है.

6. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य बजट से तथा राज्य विपणन विकास निधि (मण्डी निधि) आदि स्रोतों से उपलब्ध राशि से किया जायेगा.

7. केन्द्र शासन प्रवर्तित योजना (जिसे 31-03-2015 उपरांत समाप्त किया गया है) के अंतर्गत इकाईयों को स्वीकृत राशि के विरुद्ध लंबित अनुदान राशि का भुगतान प्रस्तावित छ.ग. राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना

1. **उद्देश्य**

(i) फसलोत्तर प्रचालनों के लिए सुविधाओं को प्रोन्नत करना, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करना शामिल है।

(ii) राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश लाना।

(iii) पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी अंतरण, दक्षता उन्नयन और हेण्डहोल्डिंग सहायता के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को अपने उत्पादों को उन्नत करने के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि करना।

(iv) राज्य के कृषि उत्पादो (उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी) का संग्रहण तथा प्रसंस्करण से कृषकों को आर्थिक लाभ देना।

(v) एफएसएसएआई द्वारा स्थापित मानदण्डों को पूरा करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों में सुधार करना।

(vi) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को एचएसीसीपी और आईएसओ प्रमाणन मानदण्ड अपनाने में सुविधा एवं सहायता प्रदान करना।

(vii) फार्म गेट अवसंरचना, आपूर्ति श्रृंखला, भण्डारण और प्रसंस्करण क्षमता मे वृद्धि करना।

(viii) संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बेहतर सहायक प्रणाली की व्यवस्था करना।

2. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन (खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण, कोल्ड चैन, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना (उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्र में) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना तथा रीफर वाहन योजना) के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार **"राज्य स्तरीय सशक्त समिति"** का गठन किया गया है :–

1.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,	–	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग	–	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग	–	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वन विभाग,	–	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग,	–	सदस्य
6.	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	–	सदस्य
7.	प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी	–	सदस्य
8.	उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय	–	सदस्य सचिव

समिति मिशन की समस्त योजनाओं के राज्य में क्रियान्वयन की समय–समय पर समीक्षा करेगी तथा आवश्यकतानुसार निर्देश/मार्गदर्शन देगी।

3. **योजनाएं** :– छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार है :–

I. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/नवीन स्थापना/आधुनिकीकरण।

II. उद्यनिकी एवं गैर उद्यनिकी दोनों क्षेत्रों में कोल्ड चैन, शीत श्रृखला, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसरंचना का विकास ।

III. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना।

IV. रीफर वाहन योजना।

4. **प्रकरणों की स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी** :– पात्र औद्योगिक इकाईयों के द्वारा आवेदन पत्र सीएसआईडीसी मुख्यालय, तथा समस्त जिलो के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों मे प्रस्तुत किये जायेंगे।

प्राप्त आवेदन पत्र परीक्षण उपरांत आयुक्त/संचालक, उद्योग की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित क्रियान्वयन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे:–

1.	आयुक्त/संचालक, उद्योग	–	अध्यक्ष
2.	प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी	–	सदस्य
3.	संचालक, कृषि/उद्यानिकी/पशुपालन/मछलीपालन	–	सदस्य
4.	अपर संचालक/संयुक्त संचालक उद्योग संचालनालय	–	सदस्य
5.	कार्यपालक संचालक, सीएसआईडीसी	–	सदस्य सचिव
6.	अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार आमंत्रित अन्य (किसी विभाग के प्रतिनिधि अथवा विषय विशेषज्ञ)	–	विशेष आमंत्रित सदस्य अधिकतम –2

5. **क्रियान्वयन समिति** से अनुमोदित प्रकरणों में स्वीकृति आदेश एवं अनुदान वितरण की कार्यवाही सी. एस.आई.डी.सी. द्वारा की जावेगी।

I- छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/नवीन स्थापना/आधुनिकीकरण के क्रियान्वयन के लिए दिशा–निर्देश

1. **उद्देश्य**

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि करना, मूल्यसंवर्धन करना और किसानों की आय में वृद्धि करना, साथ ही निर्यात को बढावा देना है जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करने, और साथ ही विद्यमान इकाईयों के तकनीकी उन्नयन और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2. **पात्र क्षेत्र**

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अन्तर्गत फल और सब्जियां, दूध, मांस, कुक्कुट, मत्स्य उत्पाद, अनाज/अन्य उपभोक्ता खाद्य उत्पाद, चावल/आटा, दाल, तेल मिलिंग और खाद्य रंग, मसाले, नारियल, मशरूम, कृषि–बागवानी क्षेत्र, योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति में अपात्र उद्योग तथा एयरेटेड पानी, पैकिटबंद पेय–जल और मृदु पेयों के कार्य के उद्योग वित्तीय सहायता की पात्रता श्रेणी में नही आवेंगें।

3. **पात्र संगठन**

सभी क्रियान्वयन एजेन्सियां/संगठन जैसे सरकार/पीएसयू/संयुक्त उद्यम/ सहकारितांए/ एसएचजी/निजी क्षेत्र/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के कार्य में लगे व्यक्ति, संस्थाएं वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

4. **सहायता की मात्रा**

योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को अनुदान–सहायता के रूप में वित्तीय सहायता निम्नानुसार दी जावेगी :–

- संयत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो की लागत का 25 %, अधिकतम 50 लाख रूपए।

5.1 पात्र एवं अपात्र घटक

5.1 सिविल कार्यों की अपात्र मदें–

I. अहाते की दीवार
II. पहुंच मार्ग
III. प्रशासनिक कार्यालय भवन
IV. शौचालय
V. श्रमिक विश्रामकक्ष और कामगारों के लिए आवास
VI. साफ–सफाई व्यवस्था कमरा
VII. सुरक्षा/गार्ड कक्ष
VIII. परामर्श शुल्क
(सूची केवल उदाहरण स्वरूप है, पूर्ण नहीं)

संक्षेप में, सिविल कार्यो के लिए किया गया निवेश, जो उत्पादन अथवा प्रसंस्करण से संबंद्ध नहीं है, अनुदान के लिये अपात्र होगा।

5.2 संयंत्र और मशीनरी की अपात्र मदें

I. ईंधन, उपभोज्य वस्तुएं, अनावश्यक कल–पुर्जे और भंडार।
II. विद्युतीय फिक्श्रर्स, जो मशीन पर न लगे हों।
III. कम्प्यूटर और कार्यालय का सहबद्ध फर्नीचर।
IV. परिवहन वाहन ।
V. उत्थापन, संस्थापन और प्रचालन प्रभार।
VI. चली हुई/पुरानी मशीनें/पुनर्संज्जित मशीनरी।
VII. सभी प्रकार के सेवा प्रभार, ढुलाई और भाड़ा प्रभार।
VIII. मशीनरी की पेंटिंग पर खर्च।
IX. क्लोज्ड सर्किट टीवी कैमरा और सम्बद्ध उपकरण
X. परामर्श फीस।
XI. लेखन सामग्री मदें।
(सूची केवल उदाहरण स्वरूप है, पूर्ण नहीं)

संक्षेप में, मशीनरी एवं संयंत्र के लिए किया गया निवेश, जो उत्पादन अथवा प्रसंस्करण से संबंद्ध नहीं है, अनुदान के लिये अपात्र होगा।

5.3 अन्य नीतियों का प्रभावः–

I. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 के अंतर्गत जो औद्योगिक इकाईयों पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता का लाभ ले चुकी हैं, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नही होगी।
II. राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त किया है, तो वे इस योजना के अंतर्गत पात्र नही होगी।
III. 1 नवंबर 2001 के पूर्व स्थापित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को इस योजना के अंतर्गत पात्रता नही होगी।
IV. औद्योगिक नीति 2014–19 एवं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु संतृप्त/अपात्र उद्योग भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगें।

6. **वित्तीय सहायता के लिए आवेदन–पत्रों/परियोजना प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया :** वित्तीय सहायता के इच्छुक आवेदकों आवेदन–पत्र, निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट-1) में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से कम से कम 2 माह पहले संबंधित संलग्नकों/दस्तावेजों के साथ सीएसआईडीसी मुख्यालय, सीएसआईडीसी के शाखा कार्यालयों तथा समस्त जिलो के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में प्रस्तुत करने होंगे।

7. **अनुदान जारी करना :–** अनुदान वित्तीय सहायता के रूप में दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा।

7.1 **प्रथम किस्त जारी करना–** पहली किस्त, आवेदक इकाई द्वारा सावधि ऋण का 50% और प्रमोटर के अंशदान का 50% उपयोग किए जाने के बाद और आवेदक इकाई द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जाएगी :

I. विधिवत नोटरीकृत **जमानत बांड** : लाभार्थी द्वारा कम से कम 100/– रूपए मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट–8)

II. विधिवत नोटरीकृत **शपथ पत्र** : लाभार्थी द्वारा कम से कम 100/– रूपए मूल्य के गैर–न्यायिक पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट–9)

III. बैंक प्रमाणपत्र : यह प्रमाणित किया जाएगा कि उन्होनें 50% स्वीकृत सावधि ऋण का जारी कर दिया है और राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुदान की पहली किस्त जारी करने पर कोई आपत्ति नही है। (परिशिष्ट–2)

IV. सीए प्रमाणपत्र (परिशिष्ट –10)

7.2 **दूसरी किस्त जारी करना** – अनुदान की दूसरी किस्त वास्तविक सत्यापन एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की पुष्टि के बाद आवेदक इकाई द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर जारी की जाएगी जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि अनुदान की पहली किस्त का तथा साथ ही सावधि ऋण का 100% और प्रमोटर के अशदान का 100% का भी उपयोग कर लिया गया है :–

I. उपयोगिता प्रमाणपत्र : जीएफआर 19 ए के अनुसार सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित और बैंक तथा लाभार्थी कंपनी के प्रमोटर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित। (परिशिष्ट '11')

II. चार्टर्ड लेखाकार प्रमाणपत्र : परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च जिसमें वित्तपोषण के साधनों और प्रमोटर के अंशदान का 100% , सावधि ऋण का 100%, और जारी अनुदान की पहली किस्त का उपयोग दर्शाया गया हो (परिशिष्ट '10')

III. बैंक प्रमाणपत्र : जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उन्होंने 100% सावधि ऋण और स्वीकृत अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। उन्हे, स्वीकृत अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने में कोई आपत्ति नही है। (परिशिष्ट 3)

IV. चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र : तकनीकी सिविल कार्यो के मद–वार और लागत–वार ब्योरे का चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) और संयंत्र और मशीनरी के मद–वार और लागत–वार ब्योरे, चार्टर्ड इंजीनियर (यांत्रिकी) द्वारा प्रमाणित।

8. **अपेक्षित दस्तावेज**

I. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र परिशिष्ट –1

II. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)।

III. बैंक/वित्तीय संस्थान की सावधि ऋण का मंजूरी पत्र, यदि कोई हो।

IV. बैंक/वित्तीय संस्थान का मूल्यांकन रिपोर्ट (Appraisal Report)।

V. संगठन का संस्थापना/पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्था का ज्ञापन और अनुच्छेद तथा सोसायटी के उपनियम (यदि लागू हो)/भागीदारी प्रलेख आदि।

VI. संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवन–वृत्त/पृष्ठभूमि।

VII. पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार/उन्नयन प्रस्तावों/मामलों की स्थिति में।

VIII. बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट।

IX. भूमि दस्तावेज की प्रति।

X. परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यों का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा प्रमाणित।

XI. परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा प्रमाणित।

XII. परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के देयक।

XIII. विपणन कार्यनीति।

XIV. प्रक्रिया प्रवाह आलेख।

XV. उद्योग आधार/ई.एम. पार्ट–2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

XVI. क्रियान्वयन समय–तालिका, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हो: (क) भूमि अधिग्रहण/आबंटन का दिनांक, (ख) निर्माण कार्य शुरू करने का दिनांक, (ग) निर्माण कार्य पूर्ण होने का दिनांक, (घ) संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देने का दिनांक, (ड.) संस्थापन/उत्थापन का दिनांक, (च) ट्रायल उत्पादन/प्रचालन का दिनांक, और (छ) वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन का दिनांक।

XVII. 100/– रूपए मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित एक शपथ–पत्र जो पब्लिक नोटरी द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करते हुए विधिवत नोटरीकृत किया गया हो :–

(क) संगठन की सहयोगी–संस्था/सम्बद्ध कंपनी/समूह कंपनी और स्वयं आवेदक कंपनी ने विगत में खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)/राज्य शासन से किसी वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है अथवा नहीं, यदि हां तो, उसका ब्यौरा।

(ख) कि संगठन ने इसी प्रयोजन/कार्यकलाप/ऐसे ही घटकों के लिए केन्द्रीय सरकार/भारत सरकार के संगठन/एन्जेसी और राज्य सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग से कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की है/आवेदन नहीं किया है अथवा प्राप्त नहीं करेगा, यदि हां तो उसका ब्यौरा।

परिशिष्ट–11

9. **स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण**–संचालक उद्योग उद्योग संचालनालय स्वीकृत रियोजाओं के क्रियान्वयन में सरलता हेतु आवश्यकतानुसार प्रणाली विकसित कर प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे ताकि स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों/बाधाओं का निरीक्षण यथा समय हो सके।

II- छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में कोल्ड चेन, (शीत श्रृंखला) मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास योजना के क्रियान्वयन के लिये दिषा–निर्देष।

1. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य खेत से लेकर उपभोक्ता तक अथवा उत्पादन स्थल से बाजार तक, एकीकृत और पूर्ण शीत श्रृंखला व परीक्षण अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत उत्पादन स्थलों पर पूर्वशीतलन सुविधाओं, रीफर वैनों (Reefer Vehicle) और चल प्रशीतन यूनिटों (Mobile Pre Cooling Van) के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना से उत्पादकों के समूहों को सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से प्रसंस्करणर्ताओं और बाजार को जोड़ने में भी सहायता प्राप्त।

2. योजना के घटक

2.1 कोल्ड चेन (शीत श्रृंखला), मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास में योजना का निम्नलिखित घटक होंगे :

क) खेत स्तर पर न्यूनतम प्रसंस्करण केन्द्र जिनमें तोलने, ग्रेडिंग, छँटाई, पैकिंग, प्री–कूलिंग, प्रशीतन, शीत भण्डारण और वैयक्तिक आईक्यूएफ की सुविधाएं होंगी।

ख) चल प्रशीतन ट्रकों और रीफर ट्रक, जो उद्यानिकी और गैर–उद्यानिकी उत्पाद के परिवहन के लिए उपयुक्त हों।

ग) बहु–उत्पाद शीत भण्डारण/परिवर्तनीय प्रशीतन/फ्रीजिंग चेम्बरों, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ और ब्लास्ट प्लेट फ्रीजिंग आदि सहित वितरण हब।

घ) Irradiation सुविधा

2.2 Irradiation सुविधाओं के अन्तर्गत, वेयरहाउसिंग, शीत भण्डारण सुविधाओं आदि को भी सुविधा के सुचारू उपयोग के लिए कच्ची सामग्री और विनिर्मित उत्पादों के भण्डारण के लिए शामिल मान्य है।

2.3 प्रर्वतकों को वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए उपरोक्त (क), (ख) अथवा (ग) में से किन्ही दो घटकों की स्थापना करनी होगी। अनुदान का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ Irradiation सुविधा स्टैण्ड–अलोन मानी जा सकती है।

3. पात्र क्षेत्र– योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है :

क) डेयरी – सभी दूध और दुग्ध उत्पाद आदि।

ख) मांस – सभी मांस और मांस उत्पाद आदि (गौमांस छोडकर)

ग) मत्स्य और समुद्री उत्पाद जैसे कि प्रॉन, सी–फूड, मछली और उनसे संबंधित उत्पाद आदि।

घ) कोई अन्य उद्यानिकी/गैर– उद्यानिकी खाद्य उत्पाद जिनके लिए एकीकृत शीत श्रृंखला की जरूरत हो।

4. पात्र संगठन – एकीकृत शीत श्रृंखला और संरक्षण अधोसंरचना की स्थापना आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन व्यवसाय मे रूचि रखने वाले व्यक्तियो अथवा उद्यमियों के समूहों संगठनों द्वारा सरकारी/पीएसयू/संयुक्त उद्यम/सहकारिताएं/एसएचजी/निजी क्षेत्र कंपनियां और निगम आदि द्वारा की जा सकती है।

5. पात्रता शर्त

5.1 आवेदक की मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि होनी चाहिए। आवेदक का निवल मूल्य (Net Worth) आवेदन किए गए अनुदान का 1.5 गुणा से अधिक होना चाहिए।

5.2 परियोजना प्रस्तावों का बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा विधिवत मूल्यांकन (Appraisal) किया जाना चाहिए और सावधि ऋण का लाभ उठाया जाना चाहिए। सावधि ऋण परियोजना लागत के 25% से कम नहीं होगा।

5.3 बैंक/वित्तीय संस्थान की परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में सभी परियोजना घटक शामिल किए जाने चाहिए जिनके लिए अनुदान माँगा गया।

5.4 वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से पहले की नहीं होनी चाहिए।

5.5 आवेदकों को ऊपर पैरा 2 में वर्णित (क), (ख) अथवा (ग) में से किन्ही दो परियोजना घटकों की स्थापना करनी होगी। अनुदान का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ प्रदीपन सुविधा को स्टेण्ड–अलोन सुविधा के रूप स्थापित किया जा सकता है।

6. अपात्र घटक :

6.1 सिविल कार्यो के निम्नलिखित मदों पर अनुदान–सहायता के विचार नहीं किया जाएगा।

I. अहाते की दीवार।
II. पहुँच मार्ग/आंतरिक सड़कें।
III. भूमि और उसके विकास की लागत।
IV. कोई रिहायशी इमारत या विश्राम कक्ष/अतिथि गृह।
V. कैंटीन।
VI. श्रमिक विश्राम कक्ष और कामगारों के लिए आवास।
VII. सुरक्षा/गार्ड कक्ष।
VIII. परामर्श फीस, कर आदि।
IX. गैर–तकनीकी सिविल निर्माण कार्य, जो शीत श्रृंखला अथवा भण्डारण अवसंचना से सीधे संबद्ध न हो।

(सूची केवल उदाहरण स्वरूप है, पूर्ण नहीं)

6.2 सिविल कार्यो की निम्नलिखित मदों पर अनुदान–सहायता के लिये विचार नहीं किया जाएगा।

I. मार्जिन राशि, कार्यशील और आकस्मिक व्यय।
II. ईधन, उपभोज्य वस्तुएँ।
III. कम्प्यूटर और संबद्ध कार्यालय फर्नीचर।
IV. रीफर ट्रकों/वैनों/प्रशीतन वाहन/इंसुलेटिड दुग्ध टैंकरों के अलावा अन्य परिवहन यान।
V. इस्तेमाल की हुई/पुरानी मशीनें।
VI. सभी प्रकार के सेवा प्रभार ढुलाई और भाड़ा प्रभार।
VII. क्लोज्ड सर्किट टीवी कैमरा और सुरक्षा पद्धति से संबंधित उपकरण।
VIII. परामर्श फीस कर, भाड़ा आदि।
IX. लेखन सामग्री की मदें।
X. शीत श्रृंखला अथवा भण्डारण अवसंरचना से सीधे नहीं जुडी हुई संयंत्र और मशीनरी।

(सूची केवल उदाहरण स्वरूप है, पूर्ण नहीं)

7. **अनुदान की पात्रता**

(अ) **अनुदान–सहायता** : बैंक द्वारा आकलित परियोजना लागत का 35% दर अथवा रूपये 5 करोड़ रूपए, जो भी कम हो, प्रति परियोजना अनुदान–सहायता के रूप में दिया जायेगा। भूमि और प्रचालन–पूर्व खर्च की लागत, अनुदान–सहायता के प्रयोजनार्थ पात्र नहीं होगी।

(ब) **ब्याज अनुदान** : ब्याज अनुदान परियोजना पूरी होने की तारीख से 5 वर्षो की अवधि के लिए होगा। ब्याज सब्सिडी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण पर 6% की दर से आया वास्तविक ब्याज अथवा 2 करोड़ रूपये, जो भी कम हो प्रत्येक वर्ष प्रति परियोजना दी जाएगी।

8. **अपेक्षित दस्तावेज (सूची केवल सांकेतिक है)**

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र (परिशिष्ट–4)

I. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) ।
II. बैंक/वित्तीय संस्थान का सावधि ऋण का स्वीकृति पत्र, यदि कोई हो।
III. बैंक/वित्तीय संस्थान की मूल्यांकन रिपोर्ट।
IV. संगठन के समावेशन/पंजीकरण का पत्र, सस्था ज्ञापन–पत्र और अन्तर्नियम और सोसायटी के उपनियम (यदि लागू हो) भागीदारी प्रलेख आदि।
V. संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवनवृत/पृष्ठभूमि।
VI. पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार/उन्नयन प्रस्तावों/मामलों की स्थिति में।
VII. बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट।
VIII. भूमि दस्तावेज की प्रति।
IX. परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यो का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा विधिवत प्रमाणित।
X. परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा विधिवत प्रमाणित।
XI. परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन।
XII. विपणन कार्यनीति।
XIII. प्रक्रिया प्रवाह आरेख।
XIV. उद्योग आधार ज्ञापन/ई.एम. पार्ट–2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र
XV. क्रियान्वयनसमय–तालिका जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हो:
   (क) भूमि अधिग्रहण/भू–आबंटन का दिनांक (ख) भवन निर्माण कार्य शुरू करने का दिनांक, (ग) भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने का दिनांक, (घ) संयत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देने का दिनांक, (ड) संस्थापन/उत्थापन का दिनाक, (च) परीक्षण उत्पादन/प्रचालन का दिनांक, और (छ) वाणिज्यक उत्पादन/ प्रचालन का दिनांक।
XVI. 100/– रूपए न्यूनतम मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित एक **शपथ–पत्र** जो पब्लिक नोटरी द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करते हुए विधिवत नोटरीकृत किया गया हो :
   (क) सगठन की सहयोगी–संस्था/संबद्ध कंपनी/समूह कंपनी और स्वयं आवेदक कंपनी ने विगत में खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)/राज्य शासन से किसी वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है अथवा नहीं, यदि हां तो, उसका विवरण।

(ख) संगठन ने इसी प्रयोजन/कार्यकलाप/ऐसे ही घटकों के लिए केन्द्रीय सरकार/भारत सरकार के संगठन/एंजेसी और राज्य सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग से कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की है/आवेदन नहीं किया है अथवा प्राप्त नहीं करेगा, यदि हां तो उसका ब्यौरा।

(परिशिष्ट–11)

9. **अनुदान जारी करना** – अनुदान–सहायता की राशि, लाभार्थी द्वारा अपने हिस्से के व्यय किए जाने के बाद, निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार तीन किश्तों में जारी की जाएगी:

9.1 **पहली किश्त जारी करना** – योजना के अंतर्गत कुल अनुदान के 25% की पहली किश्त यह सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाएगी कि प्रमोटर के अंशदान का 25% और सावधि ऋण का 25% परियोजना पर खर्च किया जा चुका है। आवेदक को पहली किश्त के लिए अनुरोध करने के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :–

I. विधिवत नोटरीकृत **जमानत बांड** : लाभार्थी कंपनी द्वारा न्यूनतम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट–9)।

II. विधिवत नोटरीकृत **शपथ–पत्र** : लाभार्थी कंपनी द्वारा न्यूनतम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट12)।

III. बैंक प्रमाणपत्र : यह प्रमाणित करते हुए कि उन्होने सावधि ऋण का 25% जारी कर दिया है स्वीकृत अनुदान की पहली किस्त जारी करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है (परिशिष्ट–5)

IV. चार्टर्ड लेखाकार प्रमाणपत्र : वित्तपोषण के साधन और प्रमोटर अंशदान के 25% और सावधि ऋण के 25% उपयोग को दर्शाते हुए परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च। (परिशिष्ट–10)

V. आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के बीजक/प्राप्ति रसीद।

VI. तकनीकी सिविल कार्यों के लिए चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) का प्रमाणपत्र जिसमें मद–वार प्रगति, लागत, मात्रा, विनिर्माता/ आपूर्तिकर्ता का उल्लेख और कोटि के संबंध में टिप्पणी की गई हो।

VII. संयंत्र और मशीनरी के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) का प्रमाणपत्र जिसमें मद–वार प्रगति लागत, मात्रा, विनिर्माता/ आपूर्तिकर्ता का उल्लेख और कोटि के संबंध में टिप्पणी की गई हों।

VIII. अनुदान–सहायता अनुमोदन पत्र में लगाई गई शर्तों यदि कोई हो, का अनुपालन।

IX. परियोजना की वास्तविक प्रगति का पता लगाने के लिए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।

9.2 **दूसरी किस्त जारी करना** – कुल अनुदान की 50% की दूसरी किस्त, जारी किए गए अनुदान की पहली किस्त के उपयोग करने पर इकाई द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर और सावधि ऋण का भी 75% और प्रमोटर के अंशदान के 75% का उपयोग करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।

I. उपयोगिता प्रमाणपत्र : चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित और बैंक तथा लाभार्थी कंपनी के प्रमोटर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (परिशिष्ट 11)।

II. बैंक प्रमाण : यह प्रमाणित करते हुए कि उन्होंने सावधि ऋण का 75% तथा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। उन्हे स्वीकृत अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है (परिशिष्ट–5)।

III. चार्टर्ड लेखाकार प्रमाणपत्र : वित्तपोषण के साधनों और प्रमोटर के अंशदान के 75%, सावधि ऋण के 75% और जारी अनुदान की पहली किस्त का उपयोग दर्शाते हुए परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च (परिशिष्ट–10)।

IV. चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) का प्रमाणपत्र : तकनीकी सिविल कार्यों के संबंध में प्रमाण–पत्र जिसमें मद–वार प्रगति, लागत, मात्रा, विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता का उल्लेख किया गया हो तथा जिसमें गुणवत्ता के संबंध में टिप्पणी की गई हो।

V. संयंत्र और मशीनरी के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) का प्रमाणपत्र जिसमें मद–वार प्रगति, लागत, मात्रा, विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता का उल्लेख किया गया हो और जिसमें गुणवत्ता के संबंध में टिप्पणी की गई हो।

VI. अनुदान की पहली किस्त जारी करने के समय लगाई गई शर्तों यदि कोई हो, का अनुपालन।

VII. परियोजना की वास्तविक प्रगति का पता लगाने के लिए स्थल निरीक्षण।

9.3 तीसरी किश्त जारी करना – अनुदान की तीसरी किश्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा यूनिट द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुतीकरण के आधार पर जारी की जाएगी जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि अनुदान की पहली और दूसरी किस्त का और सावधि ऋण का 100 % और प्रमोटर के अंशदान का भी 100% का उपयोग कर लिया गया है :

I. उपयोगिता प्रमाणपत्र : सीए द्वारा प्रमाणित और बैंक तथा लाभ प्राप्तकर्ता कंपनी के प्रमोटर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (परिशिष्ट–11)।

II. बैंक प्रमाण पत्र : यह प्रमाणित किया जाए कि उन्होंने सावधि ऋण का 100% तथा राज्य द्वारा स्वीकृत अनुदान की दूसरी किस्त जारी कर दी है। उन्हें राज्य द्वारा जारी की जाने वाली अनुदान की तीसरी किस्त जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है (परिशिष्ट–5)।

III. चार्टर्ड लेखाकार प्रमाणपत्र : वित्तपोषण के साधनों और प्रमोटर के अंशदान के 100%, सावधि ऋण के 100% और जारी अनुदान की दूसरी किस्त का उपयोग दर्शाया गया हो : परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च (परिशिष्ट–10)।

IV. चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) का प्रमाणपत्र : तकनीकी सिविल निर्माण कार्यों के संबंध में प्रमाण–पत्र जिसमें मद–वार प्रगति, लागत, मात्रा, विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता का उल्लेख किया गया हो ।

V. संयंत्र और मशीनरी के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) का प्रमाणपत्र जिसमें मद–वार प्रगति, लागत, मात्रा, विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता का उल्लेख किया गया हो

VI. अनुदान की दूसरी किश्त जारी करने के समय लगाई गई शर्तों यदि कोई हो, का अनुपालन।

VII. परियोजना के पूर्ण होने और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की जांच–पडताल करने के लिए स्थल निरीक्षण।

VIII. अनुदान–सहायता की तीसरी और अन्तिम किश्त जारी करने से पहले, परियोजना के लिए पात्र अनुदान–सहायता को पहले से अनुमोदित मदों के संबंध में प्रस्तावित/आकलित/वास्तविक लागत जो भी कम हो, के आधार पर पुनः परिकलित की जाएगी और तदनुसार जारी की जाएगी।

10. **स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण** – संचालक उद्योग उद्योग संचालनालय स्वीकृत परियोजाओं के क्रियान्वयन में सरलता हेतु आवश्यकतानुसार प्रणाली विकसित कर प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे ताकि स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों/बाधाओं का निरीक्षण यथा समय हो सके।

III– **छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र (पीसीसी/सीसी) की स्थापना हेतु दिशा निर्देश :–**

1. **उद्देश्य**

योजना का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है। यह शीघ्र खराब होनी वाली उपज की शेल्फ लाइफ में वृद्धि करने के लिए किसानों की सहायता हेतु ग्राम स्तर पर प्रसंस्करण और परिरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराकर ही प्राप्त किया जा सकता है।

2. **योजना की मुख्य विशेषताएं**

प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापनायोजना में निम्नलिखित घटक होंगे :–

I. भूमि की न्यूनतम आवश्यकता 1–2 एकड़ होगी।

II. फार्म स्तर पर न्यूनतम प्रसंस्करण सुविधाएं जिनमें नाप–तौल, सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रि–कूलिंग, नियंत्रित वातावरण (Controlled Atmosphere)/संशोधित वातावरण (Modified Atmosphere), शीतगार, शुष्क मालगोदाम और आईक्युएफ शामिल है।

III. प्री–कूलिंग मोबाइल ट्रक और रीफर ट्रक जो शीघ्र सड़ने–गलने वाली कृषि उपज/उद्यनिकी उपज/डेयरी/मत्स्य उत्पाद के लिए उपयुक्त हो।

3. **पात्र क्षेत्र**

यह योजना उद्यानिकी और गैर– उद्यानिकी उत्पाद जैसे फल, सब्जियां, अनाज और दालें, डेयरी उत्पाद, कुक्कुट और मत्स्य आदि के लिए लागू होंगें।

4. **पात्र संगठन**

उपरोक्त सुविधाओं का विकास करने के लिए व्यक्तिगत उद्यमी/किसान, उद्यमी समूह/किसान, एसोसिएशन, सहकारी समितियां, स्व–सहायता समूहों, के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होंगें।

5. **पात्रता शर्तें**

I. परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आवेदक की कुछ वित्तीय पृष्ठभूमि होनी चाहिए।

II. परियोजना के प्रस्तावों का बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा विधिवत मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

III. मूल्यांकन रिपोर्ट में वे सभी परियोजना घटक सम्मिलित होने चाहिए जिनके लिए अनुदान की मांग की गई है।

IV. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से पहले की नहीं होनी चाहिए।

6. **सहायता पैटर्न** : योजना के अन्तर्गत अनुदान–सहायता की अधिकतम देय राशि नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार 2.50 करोड़ रूपए है :

I. पीपीसी/सीसी के लिए अनुदान–सहायता पात्र परियोजना लागत की 50% की दर से उपलब्ध करायी जाएगी।

II. भूमि की लागत, प्रचालन–पूर्व व्यय, कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन राशि और आकस्मिकता, गैर–तकनीकी सिविल कार्यों और संयंत्र तथा मशीनरी, जो सीधे पीपीसी/सीसी से सम्बद्ध न हो, पात्र उत्पाद लागत की गणना करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

7. **अनुदान जारी करना** : अनुमोदित अनुदान–सहायता लाभार्थी द्वारा इक्विटी का अपन हिस्सा खर्च करने के बाद 2 किस्तों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार जारी की जाएगी :

7.1 अनुमोदित अनुदान सहायता की 50% दर से पहली किस्त, प्रमोटर द्वारा इक्विटी के अपने हिस्से में से 50% व्यय का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी बशर्ते कि निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं :–

I. विधिवत नोटरीकृत **जमानत बांड** : कम से कम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट –8)

II. विधिवत नोटरीकृत **शपथ–पत्र** : कम से कम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट – 9)

III. चार्टर्ड लेखाकार प्रमाणपत्र : परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च, जिसमें वित्त–पोषण के उपायों और प्रमोटर के अंशदान के 50 उपयोग का उल्लेख किया जाएगा (परिशिष्ट – 10)

IV. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।

7.2 **50% की दर से दूसरी किस्त निम्नलिखित शर्त पूर्ण करने पर जारी की जाएगी** :

I. जीएफआर 19 क के अनुसार पहली किश्त का उपयोगिता प्रमाणपत्र (परिशिष्ट–11)

II. सीएप्रमाण पत्र, जिसमें प्रमोटर के अंशदान का 100% व्यय दर्शाया गया हो (परिशिष्ट – 10)

III. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।

8. **स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण** – संचालक उद्योग उद्योग संचालनालय स्वीकृत परियोजाओं के क्रियान्वयन में सरलता हेतु आवश्यकतानुसार प्रणाली विकसित कर प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे ताकि स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन मे आने वाली कठिनाईयों/बाधाओं का निरीक्षण तथा समय हो सके।

IV - छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत रीफर वाहन योजना के लिए दिशा–निर्देश

1. **उद्देश्य**

योजना का उद्देश्य, उद्यानिकी और गैर– उद्यानिकी उपजों के परिवहन के लिए स्टेण्डअलोन रीफर वाहनों और प्री–कूलिंग वेनों वाहन (रीफर यूनिट और रीफर केबिनेट स्थायी रूप से जड़े हुए) वाहनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना से उत्पादकों के समूहों को, सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों के साथ जोड़ा जा सकेगा।

2. **पात्रता**

2.1 अलग–अलग उद्यमियों, भागीदार फर्मो, पंजीकृत सोसायटियों, सहकारी समितियों, एसएचजी, कम्पनियों और निगमों के लिए उपलब्ध होगी।

2.2 आवेदक/लाभार्थियों की वित्तीय पृष्ठभूमि सुदृढ होनी चाहिए तथा परियोजनाओं को सहायता के जरिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सावधि ऋण के माध्यम से ही दी जानी चाहिए।

3. **मुख्य विशेषताएं** : योजना के अन्तर्गत उद्यानिकी और गैर– उद्यानिकी उपजों दोनों के परिवहन के लिए रीफर वाहनों और मोबाइल प्री–कूलिंग वेनों (रीफर यूनिट और रीफर केबिनिट स्थायी रूप से जुड़े हुए) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अन्तर्गत, शीघ्र सडने–गलने वाली उपजों के शिपमेंट/परिवहन के लिए प्रयुक्त रीफर कन्टेनर (वाहनों पर स्थाई रूप से जडे हुए नहीं) सम्मिलित नहीं है।

4. **सहायता की मात्रा** – रीफर वाहन/मोबाइल प्री कूलिंग, नए रीफर वाहनों/मोबाइल प्री कूलिंग की लागत के 50% की दर से अधिकतम 50.00 लाख रूपए होगी।

5. **अपेक्षित दस्तावेज (सूची केवल संकेतात्मक है)**

I. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र (संलग्नक-7)
II. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।
III. बैंक/वित्तीय संस्थान की सावधि ऋण का मंजूरी पत्र, यदि कोई हो।
IV. बैंक/वित्तीय संस्थान आंकलन रिपोर्ट।
V. संगठन का संस्थापना/पंजीकरण प्रमाणपत्र, सस्था का ज्ञापन और अनुच्छेद तथा सोसायटी के उपनियम (यदि लागू हो)/भागीदारी प्रलेख आदि।
VI. संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवन–वृत्त/पृष्ठभूमि।
VII. पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार/उन्नयन प्रस्तावों/मामलों की स्थिति में।
VIII. बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट।
IX. भूमि दस्तावेज की प्रति।
X. परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यों का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा प्रमाणित।
XI. परिकल्पित संयत्र और मशीनरी का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा प्रमाणित।
XII. परियोजना के अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन।
XIII. विपणन कार्यनीति।

XIV. प्रक्रिया प्रवाह आरेख।

XV. एसएसआई/आईईएम पंजीकरण आदि।

XVI. कार्यान्वयन समय–तालिका, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हो: (क) भूमि अधिग्रहण की तारीख, (ख) भवन निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख, (ग) भवन के पूरा होने की तारीख, (घ) संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देने की तारीख,(ड.) संस्थापन/उत्थापन की तारीख, (च) उत्पादन/प्रचालन की तारीख, और (छ) वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन की तारीख।

XVII. 100/– रूपए अथवा अधिक मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित एक **शपथ–पत्र** जो पब्लिक नोटरी द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करते हुए विधिवत नोटरीकृत किया गया हो:

क. संगठन की सहयोगी–संस्था/सम्बद्ध/राज्य शासन से समूह कम्पनी और स्वयं आवेदक कम्पनी ने विगत में एमएफपीआई से खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए किसी वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है या नहीं, यदि हां तो उसका ब्यौरा।

ख. संगठन ने इसी प्रयोजन/कार्यकलाप/उन्हीं घटकों के लिए केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/भारत सरकार के संगठन के किसी मंत्रालय/विभाग/भारत सरकार के संगठन/एजेंसी और राज्य सरकार से अनुदान/सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है/प्राप्त नहीं किया है/आवेदन नहीं करेगा/प्राप्त नहीं करेगा।

(परिशिष्ट–9)

6. **अनुदान जारी करना** – परियोजना की लागत के 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रूपए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के पर जारी किए जाएंगे :

I. विधिवत नोटरी कृत **जमानत बांड** : लाभ प्राप्तकर्ता कम्पनी द्वारा कम से कम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया हो (परिशिष्ट – 8)

II. विधिवत नोटरीकृत **शपथ पत्र** : लाभ प्राप्तकर्ता कम्पनी द्वारा कम से कम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया हो (परिशिष्ट–9)

III. बैंक प्रमाण पत्र : यह प्रमाणित करते हुए कि उन्होंने सावधि ऋण जारी कर दिया है और राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बैंक एंडेड सब्सिडी जारी करने पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं है।(संलग्नक – 5)

IV. चार्टर्ड लेखाकार **प्रमाणपत्र** : वित्त पोषण के साधन दर्शाते हुए परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च, (परिशिष्ट–10)

V. संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) द्वारा जारी एवं नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।

VI. प्रमुखता से यह प्रदर्शित किया जाएगा कि "रीफर वाहन/मोबाइल प्री–कूलिंग वैन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन से वित्तीय सहायता प्राप्त

VII. रीफर वैनों के फोटोग्राफ जिसमें अगली और पिछली नम्बर प्लेट और रीफर/चल को स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो।

VIII. अनुदान–सहायता के अनुमोदन पत्र में लगाई गई शर्तों का अनुपालन यदि कोई हों। रीफर/मोबाइल प्री–कूलिंग वैन का भौतिक निरीक्षण।

7. **स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण** – संचालक उद्योग उद्योग संचालनालय स्वीकृत परियोजाओं के क्रियान्वयन मे सरलता हेतु आवश्यकतानुसार प्रणाली विकसित कर प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे ताकि स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन मे आने वाली कठिनाईयों / बाधाओं का निरीक्षण यथा समय हो सके।

परिशिष्ट 1

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का नवीन स्थापना / तकनीकी उन्नयन / आधुनिकीकरण योजना के लिए आवेदन–फार्म

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
क – प्रवर्तक		
1.	आवेदक / आवेदक इकाई का नाम और पता, टेलिफोन, फैक्स, ई मेल आदि सहित	
2	संगठन का प्रकार	
3.	आवेदक संगठन की पृष्ठभूमि	
4.	वित्तीय स्थिति	
5.	विद्यमान उद्योग, यदि कोई हो	
ख – परियोजना विवरण		
6.	परियोजना का नाम	
7.	परियोजना का स्थान / क्षेत्र	
8.	उत्पाद / उप – उत्पाद	
9.	पूर्ण प्रवाह चार्ट के सहित प्रसंस्करण	
10.	प्रौद्योगिकी (स्वदेशी / आयातित)	
11.	संयंत्र / यूनिट की क्षमता	
12.	विद्यमान सुविधाओं / यूनिट के विस्तार / आधुनिकीकरण के मामले में (विद्यमान क्षमता और विस्तार के बाद प्रस्तावित क्षमता और साथ ही क्षमता उपयोग का ब्यौरा)	
ग –	**परियोजना लागत (प्रस्तावित, आकलित लागत का अलग – अलग उल्लेख करते हुए)**	
13.	स्थायी पूंजी निवेश (I) भूमि (II) शेड– भवन (III) कुल सिविल कार्य की लागत (अपात्र मदों को समावेश करते हुए) (IV) तकनीकी सिविल कार्य की लागत	
14.	संयंत्र और मशीनरी (स्वदेशी)(क्षमता / विनिर्देशन / लागत)	
15.	आयातित मशीनरी (क्षमता / विनिर्देशन / लागत)	
16.	प्रचालन – पूर्व खर्च (प्री ऑपरेटिव व्यय)	
17.	कार्यशील पूंजी (1) कच्ची सामग्री / पैकिंग (स्त्रोत / मात्रा / लागत) (2) श्रम (मात्रा / लागत) (3) निस्त्राव निपटान (विधि / मशीनरी / लागत)	

घ – वित्तीय साधन (प्रस्तावित और आकलित वित्त का अलग – अलग उल्लेख करते हुए)			
18.	वित्त पोषण के साधन क) इक्विटी (प्रमोटर/विदेशी/अन्य) ख) ऋण (सावधि/कार्यशील पूंजी) ग) अनुदान – सहायता घ) अन्य स्रोत		
19.	वित्तीय बैंचमार्क क) नकदी प्रवाह ख) ब्रेक इवन पांइट ग) प्रतिफल की आन्तरिक दर घ) ऋण – इक्विटी अनुपात ड) ऋण सेवा कवरेज अनुपात		
20.	विस्तार/आधुनिकीकरण के मामले में उपरोक्त सभी बैंचमार्क अलग–अलग दिए जाएं – विद्यमान और साथ ही प्रस्तावित भी		
21.	विस्तार/आधुनिकीकरण प्रस्तावों के मामले में, विगत तीन वर्षों का परीक्षित तुलना–पत्र सलग्न किया जाए		
ड. – विपणन			
22.	विपणन क) विद्यमान बाजार ख) भावी माग ग) विपणन कार्यनीति घ) फार्म के साथ लिंकेज/पश्च लिंकेज ड) भावी (वायदा) बाजार लिंकेज		
च – क्रियान्वयन अनुसूची			
23.	कार्य की मद	क्रियान्वयनकी तारीख (आरेख चार्ट/माइल स्टोन चार्ट संलग्न किए जाएं)	
छ – कार्मिक			
24.	अपेक्षित और उपलब्ध तकनीकी और प्रबंधकीय (प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंधकीय, वित्त, विपणन आदि) कार्मिकों का ब्यौरा		
ज – रोजगार सृजन – प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष			
25.	क) प्रत्यक्ष ख) अप्रत्यक्ष		

घोषणा–पत्र

1. उक्त आवेदन पत्र में अनुक्रमांक–1 से लेकर अनुक्रमांक–28 तक दी गई जानकारी मेरे मत एवं ज्ञान में सही है।

2 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 के अंतर्गत योजना पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता का लाभ नही लिया है एवं न ही आवेदन दिया है।

3 राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का लाभ नही लिया है एवं न ही आवेदन दिया है।

4. हमारी इकाई औद्योगिक नीति 20014–19 के लागू होने के दिनांक 01 नवंबर 2014 के पश्चात् दिनांक ..... को स्थापित हुई है।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
संगठन की मोहर

संलग्नक : संलग्न दस्तोवजों की सूची

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

परिशिष्ट 2

(बैंक का लेटर हेड)

प्रमाण – पत्र

(मूल प्रति में)

1. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/नवीन स्थापना/आधुनिकीकरण योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुदान हेतु मेसर्स ..... (इकाई का नाम और पता) की परियोजना का मूल्यांकन किया है और ..... लाख रूपए (यदि लागू हों) का सावधि ऋण भी स्वीकृत किया है।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ..... (इकाई का नाम और पता) को रूपए ..... लाख (मंजूर सावधि ऋण का .....%) वितरित कर दिए गये है।
3. राज्य सरकार द्वारा मंजूर अनुदान की **पहली किस्त** जारी करने मे हमें कोई आपत्ति नहीं है।

(हस्ताक्षर)
(नाम)
शाखा प्रबंधक
शाखा आईएफएससी कोड .....

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग,
   उद्योग संचालनालय छ0ग0
   उद्योग भवन, रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
   सीएसआईडीसी
   उद्योग भवन, रायपुर
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

परिशिष्ट 3

(बैंक का लेटर हेड)

प्रमाण – पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस बैंक ने मेसर्स .....(इकाई का नाम और पता) को स्वीकृत सम्बधि ऋण का 100 प्रतिशत (यदि लागू हो), अर्थात रूपए ..... वितरित कर दिया है और छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत दिनांक ..... के मंजूरी आदेश सं..... के तहत जारी ..... लाख रूपए के अनुदान की पहली किस्त भी वितरित कर दी है जिसे फर्म (इकाई का नाम और पता) के खाता संख्या ..... में क्रेडिट कर दिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा मंजूर अनुदान की **दूसरी किस्त** जारी करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

(हस्ताक्षर)
(नाम)
शाखा प्रबंधक
शाखा आईएफएससी कोड .....

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग,
   उद्योग संचालनालय छ0ग0
   उद्योग भवन, रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
   सीएसआईडीसी
   उद्योग भवन, रायपुर
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

परिशिष्ट 4

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण अधोसंरचना विकास योजना के लिए आवेदन–पत्र

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
क. प्रमोटर		
1.	प्रमोटर का नाम और पता, टेलीफोन, फैक्स, ई–मेल आदि सहित।	
2.	संगठन का प्रकार	
3.	आवेदक संगठन की पृष्ठभूमि/प्रत्ययपत्र, खाद्य प्रसंस्करण अथवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अनुभव का ब्यौरा, यदि कोई हो।	
4.	वित्तीय स्थिति।	
5.	विद्यमान उद्योग, यदि कोई हो।	
ख. परियोजना विवरण		
6.	परियोजना का नाम	
7.	परियोजना का स्थान/क्षेत्र	
8.	उत्पाद/उप–उत्पाद	
9.	पूरे प्रवाह चार्ट के साथ शीत श्रृंखला प्रोसेस,	
10.	प्रौद्योगिकी (देशज/आयातित)	
11.	एकीकृत शीत श्रृंखला के विभिन्न घटकों (शीत भण्डारण, सीए/एमए चेम्बर, डीप फ्रीजर, आईक्यूएफ (मी.टन/घंटे में), रीफर वैन (संख्या और मी.टन में) की क्षमताएं।	
12.	विद्यमान सुविधाओं/यूनिटों के विस्तार/आधुनिकीकरण के मामले में (विद्यमान क्षमता आ ब्यौरा तथा विस्तार के बाद प्रस्तावित क्षमता, क्षमता उपयोग सहित)	
ग. परियोजना लागत (प्रस्तावित लागत, आकलित लागत का अलग–अलग उल्लेख करते हुए)		
13.	पूंजी निवेश (अचल पूंजी) I. भू–खण्ड लागत II. भवन निर्माण की लागत III. कुल सिविल कार्य की लागत IV. तकनीकी सिविल कार्य की लागत	
14.	संयंत्र और मशीनरी (स्वदेशी)(क्षमता/विनिर्देशन/लागत)	
15.	आयातित मशीनरी (क्षमता/विनिर्देशन/लागत)	
16.	प्रचालन–पूर्व खर्च	
17.	कार्यशील पूंजी	
18.	कच्ची सामग्री/पैकिंग (स्वाव/मात्रा/लागत)	
19.	श्रम (मात्रा/लागत)	
20.	निःस्राव निपटान (पद्धति/मशीनरी/लागत)	
घ. वित्तपोषण के साधन (वित्तपोषण के प्रस्तावित और आँके गए वित्तपोषण उपायों का अलग–अलग उल्लेख करते हुए)		
21.	वित्त पोषण के साधन (क) इक्विटी (प्रमोटर/विदेशी/अन्य)	

	(ख) ऋण (सावधि / कार्य पूंजी) (ग) अन्य स्रोतों से सहायता (घ) अनुदान	
22.	वित्त बैंचमार्क (क) नकदी प्रवाह (ख) ब्रेक इवन प्वाइंट (ग) प्रतिफल की आंतरिक दर (घ) ऋण–इक्विटी अनुपात (ड़) ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात	
23.	विस्तार / आधुनिकीकरण के मामले में, उपरोक्त सभी बैंचमार्क अलग–अलग दिए जाने चाहिए – विद्यमान और साथ ही पूर्वानुमानित थी।	
ङ. विपणन		
24.	विपणन (क) विद्यमान बाजार (ख) भावी मांग (ग) विपणन कार्यनीति (घ) खेत के लिए लिंकेज / पक्ष लिंकेज (ड) पायदा बाजार लिंकेज	
च. क्रियान्वयन अनुसूची		
25.	कार्य की मद क्रियान्वयन की तारीख (बार चार्ट / माइलस्टोन चार्ट अथवा पीडीआरटी / सीपीएम संलग्न लिए जाएं।)	
छ. कर्मचारी		
26.	अपेक्षित और उपलब्ध तकनीकी एवं प्रबंधकीय एवं प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा (प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन, वित्त विपणन आदि)	
ज. रोजगार सृजन–प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष		
27.	(क) प्रत्यक्ष (पुरूष और महिला महिला अलग–अलग) (ख) अप्रत्यक्ष (पुरुष और महिला अलग–अलग)	

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
संगठन की मोहर

दिनांक :
स्थान :
संलग्नक : दस्तावेजों की सूची

परिशिष्ट 5

(बैंक का लेटर हेड)

प्रमाण – पत्र

1. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण अधोसंरचना विकास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन द्वारा स्वीकृत अनुदान हेतु मेसर्स..... .....(इकाई का नाम और पता) की परियोजना का मूल्यांकन किया है और ..... लाख रूपए (यदि लागू हो) का सावधि ऋण भी स्वीकृत किया है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमने मैसर्स ..... (इकाई का नाम और पता) को ..... लाख रूपए (मंजूर सावधि ऋण का .....%) वितरित कर दिया है।

3. राज्य सरकार द्वारा मंजूर अनुदान की **पहली/दूसरी/तीसरी किस्त** जारी करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

(हस्ताक्षर)

(नाम)
शाखाप्रबंधक
शाखा आईएफएससी कोड .....

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग,
   उद्योग संचालनालय छ0ग0
   उद्योग भवन, रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
   सीएसआईडीसी
   उद्योग भवन, रायपुर
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

परिशिष्ट 6

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र / संग्रह केन्द्र / (पीसीसी / सीसी) स्थापित करने के लिए आवेदन–फार्म

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
क. प्रमोटर		
1.	टेलीफोन सं., फैक्स, ई–मेल आदि सहित प्रमोटर का नाम और पता,	
2.	संगठन का प्रकार	
3.	आवेदक संगठन की पृष्ठभूमि खाद्य प्रसंस्करण अथवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अनुभव का ब्यौरा, यदि कोई हो।	
4.	वित्तीय स्थिति	
5.	विद्यमान उद्योग, यदि कोई हो।	
ख. परियोजना विवरण		
6.	परियोजना का नाम	
7.	परियोजना का स्थान / क्षेत्र	
8.	उत्पाद / उप– उत्पाद	
9.	शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों का फ्लोचार्ट	
10.	प्रौद्योगिकी / (स्वदेशी / आयातित)	
11.	पीपीसी / सीसी के विभिन्न घटकों की क्षमताए	
12.	पीपीसी / सीसी में संचालित किए जाने वाले उत्पाद / वस्तुएं	
ग. परियोजना लागत (प्रस्तावित लागत, आकलित लागत का अलग–अलग उल्लेख किया जाए)		
13.	पूंजी निवेश (अचल पूंजी)	
	क) भू–खण्ड की लागत	
	ख) भवन की लागत	
	ग) कुल सिविल कार्य की लागत	
	घ) तकनीकी सिविल कार्य	
14.	संयंत्र और मशीनरी (स्वेदेशी) (क्षमता / विनिर्देशन / लागत)	
15.	आयातित मशीनरी (क्षमता, विनिर्देशन,लागत)	
16.	प्रचालन–पूर्व खर्च	
17.	पूंजी	
18.	कच्ची सामग्री / पैकिंग (स्रोत / मात्रा / लागत)	
19.	श्रम (मात्रा / लागत)	
20.	Effluent Disposal (पद्धति / मशीनरी / लागत)	
21.	वित्त पोषण के साधन क. इक्विटी (प्रमोटर / विदेशी / अनय) ख. ऋण (सावधि / कार्यशील) ग. अन्य स्रोतों से सहायता घ. प्रस्तावित अनुदान की कुल राशि	

22.	वित्तीय बेंचमार्क क. नगदी प्रवाह ख. ब्रेक–ईवन पाइंट ग. प्रतिफल की आन्तरिक दर घ. ऋण – इक्विटी अनुपात ड. ऋण सेवा कवरेज अनुपात	
23.	जिन गुणवत्ता / सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा उनका ब्यौरा	
ड. विपणन		
24.	विपणन क. विद्यमान बाजार ख. भावी मांग ग. विपणन कार्यनीति घ. खेत फारवर्ड / बेकवर्ड लिंकेज ड. भावी बाजार लिंकेज	
च. क्रियान्वयन अनुसूची		
25.	कार्य का मद / क्रियान्वयन की तारीख (आरेख चार्ट / माइल स्टोन चार्ट संलग्न)	
छ. कार्मिक		
26.	तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्मिक का ब्यौरा (प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंधकीय, वित्त और विपणन आदि) अपेक्षित और उपलब्ध	
ज. रोजगार सृजन – प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष		
27.	क. प्रत्यक्ष (पुरूष और महिलाएं अलग–अलग) ख. अप्रत्यक्ष (पुरूष और महिलाएं अलग–अलग)	

तारीख :
स्थान :

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
संगठन की सील

संलग्नक : संलग्न दस्तावेजों की सूची

परिशिष्ट 7

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत रीफर वाहन योजना का आवेदन–पत्र

क्र. स.	विवरण	ब्यौरा
क. प्रमोटर		
1.	प्रमोटर का नाम और पता, टेलीफोन सं., फैक्स, ई–मेल आदि सहित	
2.	संगठन का प्रकार	
3.	आवेदक संगठन की पृष्ठभूमि / प्रत्ययपत्र खाद्य प्रसंस्करण अथवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अनुभव का ब्यौरा, यदि कोई हो।	
4.	वित्तीय स्थिति	
5.	विद्यमान उद्योग, यदि कोई हो।	
ख. परियोजना विवरण		
6.	परियोजना का नाम	
7.	रीफर वाहन / मोबाइल प्रो–कूलिंग वैनों की संख्या और क्षमता	
ग. परियोजना लागत (प्रस्तावित लागत, आकलित लागत का अलग–अलग उल्लेख किया जाए)		
8.	रीफर वाहन / मोबाइल प्रशीतन–पूर्व वैनें(क्षमता / विनिर्देशन / लागत)	
9.	प्रचालन–पूर्व खर्च	
10.	कार्यशील पूंजी	
घ. वित्त–पोषण के साधन (प्रस्तावित लागत और आकलित वित्तीय साधनों का अलग–अलग उल्लेख किया जाए)		
1.	वित्त पोषण के साधन क. प्रमोटर का अंशदान ख. ऋण (सावधि / कार्यशील) ग. अन्य स्रोतों से सहायता घ. अनुदान की राशि	
ङ. क्रियान्वयनअनुसूची		
12.	रीफर वैन / रीफर ट्रकों की खरीद की प्रत्याशित तारीख	

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
संगठन की सील

संलग्नक : दस्तावेजों की सूची

परिशिष्ट 8

SURETY BOND
(Executed on non-judicial stamp of Rs 100/- or more)

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we, M/s _____, a _____(Type of organization) incorporated/registered under the _____(Name of the Act) and having its registered office at _____ (hereinafter called the "Obligers") are held fully and firmly bound to the Governor of State_____ (hereinafter called the "Government") for the sum of Rs._____ (Rupees_____ _____ only) well and truly to be paid to the Government on demand and without a demur for which payment we firmly bind ourselves and our successors and assignees by these presents.

SIGNED on the _____ day of _____ in the year Two Thousand _____.

WHEREAS on the Obligers' request, the Government as per Sanction Order No._____ Dated _____ (hereinafter referred to as the "Letter of Sanction") which forms an integral part of these presents, and a copy whereof is annexed hereto and marked as Annexure-I, agreed to make in favour of the Obligers grantsin-aids-in-aid of Rs._____(Rupees_____only) for the purpose of_____(description of the project) at _____ out of which the sum of Rs._____ (Rupees _____ only) have been paid to the Obligers (the receipt of which the Obligers do hereby admit and acknowledge) on condition of the Obligers executing a bond in the terms and manner contained hereinafter which the Obligers have agreed to do.

NOW the conditions of the above written obligation is such that if the Obligers duly fulfill and comply with all the conditions mentioned in the letter of sanction, the above written Bond or obligation shall be void and of no effect. But otherwise, it shall remain in full force and virtue. The Obligers will abide by the terms & conditions of the grants-in-aid by the target dates, if any specified therein.

THAT the Obligers shall not divert the grants-in-aids and entrust execution of the Scheme or work concerned to another institution(s) or organization(s).

THAT the Obligers shall abide by any other conditions specified in this agreement and in the event of their failing to comply with the conditions or committing breach of the bond, the Obligers individually and jointly will be liable to refund to the Governor of Chhattisgarh, the entire amount of the grants-in-aid with interest of 10% per annum thereon. If a part of the grants-inaid is left unspent after the expiry of the period within which it is required to be spent, interest @10% per annum shall be charged upto the date of its refund to the Government, unless it is agreed to be carried over.

The Obligers agree and undertake to surrender / pay the Government the monetary value of all such pecuniary or other benefits which it may receive or derive / have received or derived through / upon unauthorized use of (such as letting out the premises on adequate or less than adequate consideration or use of the premises for any purpose other than that for

which the grants-in-aid was intended of the property) buildings created / acquired constructed largely from out of the grants-in-aid sanctioned by the State Government of Chhattisgarh or the administrative Head of the Department concerned. As regards the monetary value aforementioned to be surrendered / paid to the Government, the decision of the Government will be final and binding on the Obligers.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT the decision of the Chhattisgarh State Food Processing Mission of _____ on the question whether there has been breach or violation of any of the terms or conditions mentioned in the sanction letter shall be final and binding upon the Obliger, and

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed as under on benalf of the Obligers the day herein above written in pursuance of the Resolution No._____ Dated _____ passed by the governing body of the Obligers, a copy whereof is annexed hereto as **Annexure**-II and by _____ for and on behalf of the Governor of State, _____ on the date appearing below:-

_____

Signature of the AUTHORISED SIGNATORY
Signed for and on behalf of
(Name of the Obliger in block letters)
(Seal / Stamp of Organization)

1. Signature of witness
   Name & Address
   _____
   _____
   _____

2. Signature of witness
   Name & Address
   _____
   _____
   _____

TO BE FILLED UP BY THE Directorate of Industries, Chhattisgarh
(ACCEPTED)

For and on behalf of the Governor of State of CHHATTISGARH
Name:_____ Designation: _____
Dated:_____

Notary Seal & Signature

जमानत बांड

(कम से कम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

1 यह सब को ज्ञात हो कि हम, मेसर्स .....एक .... (संगठन का प्रकार) जो .....(अधिनियम का नाम) के अंतर्गत निगमित/पंजीकृत है और इसका पंजीकृत कार्यालय ..... (जिसे इसमे आगे आबद्धकर्ता कहा गया है) में है। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को (जिन्हे इसमें आगे 'सरकार' कहा गया है) .....रूपए (.....रूपए मात्र) की मांग बिना किसी विलम्ब के, सरकार को सदाय करने के लिए आबद्ध है इस राशि का संदाय करने के लिए हम स्वयं को, अपने वारिसों और समनुदेशितों को आबद्ध करते हैं।

2 अतः आबद्धकर्ता के अनुरोध पर, दिनांक .....के स्वीकृति आदेश ..... (इसके पश्चात् इसे "मंजूरी पत्र" कहा जाएगा), जो इन विलेखों का अभिन्न अग है, तथा जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और संलग्नक - I के रूप मे अंकित की गई है के अनुसार सरकार .....में ..... के प्रयोजन से (परियोजना का विवरण) .....रूपए (.....रूपए मात्र) की अनुदान सहायता आबद्धकर्ता के पक्ष में देने के लिए सहमत हुई है जिसमें से .....रूपए (.....रूपए मात्र) की राशि, इसमें आगे दी गई शर्तो एवं पद्धति पर आबद्धकर्ता के बंध पत्र के निष्पादन की शर्त पर, जिसके लिए आबद्धकर्ता सहमत हुआ है आबद्धकर्ता (जिसे आबद्धकर्ता ने स्वीकार किया है और पावती दी है) को अदा की गई है।

3 अतः ऊपर लिखित दायित्व की शर्तें ऐसी हैं कि यदि आबद्धकर्ता, मंजूरी पत्र में उल्लेखित सभी शर्तो को विधिवत पूरा करके अनुपालन करेगा तो उल्लेखित बंधक पत्र निष्प्रभावी हो जाएगा। परन्तु अन्यथा, यह पूर्ण रूप में प्रवृत रहेगा। आबद्धकर्ता उसमें लक्षित तारीखों तक यदि कोई विनिर्दिष्ट की गई हों, अनुदान–सहायता के निबंधन और शर्तो का पालन करेगा।

4 कि आबद्धकर्ता अनुदान–सहायता किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं करेगा तथा संबंधित योजना अथवा कार्य का निष्पादन किसी अन्य संस्थान (नों) अथवा संगठन (नों) को नहीं सौपेगा।

5 यह कि आबद्धकर्ता इस करार में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य शर्तो का पालन करेगा और शर्तो का पालन करने में विफल रहने पर अथवा बांड का उल्लंघन करने पर आबद्धकर्ता व्यक्तिगत तथा संयुक्त रूप से अनुदान–सहायता की पूरी राशि, उस पर 10% प्रति वर्ष ब्याज सहित के राज्यपाल को वापस लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि अनुदान–सहायता का कोई हिस्सा उस अवधि के समाप्त होने के बाद जिसमें उसे खर्च किया जाना अपेक्षित था अव्ययित रह जाता है तो सरकार को उसकी वापसी की तारीख तक 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा जब तक कि उसे अन्यथा आगे ले जाने की सहमति न दी गई हो।

6 आबद्धकर्ता, ऐसे सभी आर्थिक अथवा अन्य लाभ की राशि, जो वह .....की राज्य सरकार अथवा संबंधित विभाग के प्रशासनिक प्रधान द्वारा स्वीकृत की गई अनुदान–सहायता से निर्मित/अर्जित इमारतों के अनधिकृत उपयोग पर (जैसे पर्याप्त अथवा पर्याप्त से कम पर मूल्य पर परिसर को किराए पर देना या उसे किसी भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग करना जिस उद्देश्य से संपत्ति के लिए अनुदान–सहायता दी गई थी)/के माध्यम से प्राप्त करे या अर्जित करे/प्राप्त की हो सरकार को अभ्यर्पित/अदा करने के लिए सहमत है और वचन देता है। जहां तक पूर्वोक्त राशि का सरकार को

अभ्यर्पित/अदा किए जाने का संबंध है, इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम और आबद्धकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

7 इन विलेखों में यह भी साक्ष्य है कि ..... की राज्य सरकार के सचिव का इस संबंध में निर्णय कि क्या मंजूरी पत्र में उल्लिखित किन्ही निबंधनों अथवा शर्तों का उलंघन किया गया है अंतिम होगा और आबद्धकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा तथा इसके साक्ष्य में ये विलेख आबद्धकर्ताओं के शासकीय निकाय द्वारा पारित दिनांक ..... के संकल्प संख्या ..... के अनुसरण में इसमें उल्लेखित दिवस को आबद्धकर्ताओं की ओर से निम्नानुसार निष्पादित किए गए हैं, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्नक - II के रूप में नत्थी है, तथा नीचे दी गई तारीख को .....राज्य के राज्यपाल के नाम में और उनकी ओर से हस्ताक्षरित है :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(आबद्धकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में)
इकाई के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित
(इकाई की मोहर)

1. गवाह के हस्ताक्षर
नाम और पता
.....
.....

2. गवाह के हस्ताक्षर
नाम और पता
.....
.....

उद्योग संचालनालय द्वारा भरा जाएगा
(स्वीकृत)
छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के नाम से और उनकी ओर से
नाम .....
पदनाम .....
तारीख .....

नोटरी की मोहर और हस्ताक्षर

टीप : जमानत बांड हिन्दी में भी दिया जा सकता है किन्तु विवाद की स्थिति में इंग्लिश प्रारूप ही मान्य (Prevail over) किया जायेगा।

परिशिष्ट 9

100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर

शपथ–पत्र

(जीएफआर–209(1) के अनुसार)

मैं ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... मेसर्स .... का डायरेक्टर/मालिक एतद द्वारा शपथपूर्वक अभिपुष्टि करता हूं और निम्न प्रकार बयान करता हूं :

(क) कि इकाई की सहयोगी–संस्था/अंतर संबंधित कंपनी/समूह कंपनी और स्वयं आवेदक कंपनी ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए विगत में उक्त योजना से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की है अथवा नहीं की है।

(ख) कि इकाई ने इसी प्रयोजन/कार्यकलाप/इन्हीं घटकों के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/भारत सरकार संगठन/एजेंसियों से और राज्य सरकार से कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की है अथवा नहीं की है, न ही इसके लिए आवेदन किया है तथा उक्त अनुदान /सब्सिडी प्राप्त नहीं करेगा।

(ग) अनुदान प्राप्त करने हेतु विभाग को प्रस्तुत किए गए सभी कागजात, दस्तावेज सत्य और सही है और उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया।

अभिसाक्षी

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरी अधिकरण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इस शपथ पत्र का कोई भाग इसमें छिपाया नहीं गया है, यदि बाद में, इस शपथ पत्र में कुछ भी असत्य पाया जाएगा तो अभिसाक्षी और संगठन, नियमों के अन्तर्गत कार्यवाई के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग जिम्मेदार होगा, इसलिए .... (स्थान) पर .....(तारीख) को सत्यापित किया गया।

बयानकर्ता

नोटरी की सील और हस्ताक्षर

परिशिष्ट 10

(सीए के लैटर हैड पर)

सीए प्रमाणपत्र

(सीए की सदस्यता संख्या के सहित)

(I) परियोजना लागत

(लाख रूपए में)

क्र. सं.	घटक / मद का नाम	परियोजना लागत	बैंक द्वारा यथा आकलित लागत	वास्तविक लागत
1.	भूमि			
2.	इमारत / सिविल कार्य			
3.	संयंत्र और मशीनरी			
4.	विविध अचल परिसंपत्तियां			
5.	अन्य			
	कुल योग			

(II) वित्त के साधन

(लाख रूपए में)

क्र. सं.	मद	परियोजना लागत	बैंक द्वारा यथा आकलित लागत	वास्तविक लागत
1.	प्रमोटर की इक्विटी			
2.	सावधि ऋण			
3.	असुरक्षित ऋण			
4.	अनुदान			
5.	अन्य			
	कुल योग			

सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित असुरक्षित ऋणों यदि कोई हो का ब्यौरा,

सीए के हस्ताक्षर और सील

परिशिष्ट 11

(सीए के लैटर हैड पर)
जी एफ आर 19 – क के अनुसार प्रोफार्मा
[देखें जी एफ नियम 212(1)]

क्र.सं.	पत्र संख्या और तारीख	राशि

1 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त में दिए गए पत्र संख्या ..... के अन्तर्गत ..... के पक्ष में वर्ष ..... के दौरान मंजूर ..... रूपए की अनुदान–सहायता और पिछले वर्षो के अव्ययित शेष .....रूपए की राशि में से ..... रूपए की राशि का उपयोग ..... के प्रयोजनार्थ ....किया गया है जिसके लिए इसे मंजूर किया गया था, कि वर्ष ..... के अन्त में, अव्ययित शेष रहती ..... रूपए की राशि सरकार को (सं. .....दि..... ..... को) अभ्यर्पित कर दी गई है/को अगले वर्ष ..... के दौरान दिये अनुदान – सहायता के साथ समायोजित किया जाएगा।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं उन शर्तों से संतुष्ट हूँ जिनके आधार पर अनुदान–सहायतामंजूर किया गया था, उन्हें पूरा किया गया है/पूरी की जा रही है और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने यह देखने के लिए कि धन का उपयोग वास्तविक रूप से उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था की जाँच करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का इस्तेमाल किया गया है।

जाँच के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों के प्रकार

1.

2.

3.

हस्ताक्षर (सीए).....
पदनाम .....
तारीख .....

कंपनी के प्रमोटर के प्रति
हस्ताक्षर, सील के साथ